न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 01/2019
दायर दिनांक :– 04.01.2019

अनवान

1. श्री सोराज पिता देबीलाल मीणा नि. खेरूणा तह. जहाजपुर
2. श्रीमति घीसी पत्नि देबीलाल मीणा नि. खेरूणा तह. जहाजपुर

अपीलान्ट..........

बनाम

1. संरपच ग्राम पंचायत टीठोडा तह. जहाजपुर
2. सचिव ग्राम पंचायत टीठोडा तह. जहाजपुर
3. श्री नन्दा पिता देबी मीणा नि. खैरूणा तह. जहाजपुर
4. श्री जगदीश पिता देबी मीणा नि. खैरूणा तह. जहाजपुर
5. श्री देशराज पिता खानाराम मीणा नि. फतेहपुरा तह. जहाजपुर
6. सुश्री गोरा पुत्री देबी मीणा नि. खैरूणा तह. जहजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर

रेस्पोडेंटगण..............

:: अपील नामान्तरकरण सं. 919
फैसल दिनांक 22.07.1995 ग्राम पंचायत टीठोडा ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री नारायण लाल शर्मा, एडवोकेट अपीलान्टगण

:: निर्णय :: दिनांक 09.12.2019

अपीलान्ट की अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम खैरूणा प. ह. टीठोडा में स्थित आ0न0 299 रकबा 02.14 बीघा, आ.न. 229 रकबा 0.18 बीघा, आ.न. 230 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 239 रकबा 6.01 बीघा कुल किता 4 रकबा 09.17 बीघा भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में नन्दा सोराम जगदीश पिता देबी फूमा बेवा देबी पार्वती गोरा पुत्रीया देबी सा. देह खातेदारी दर्ज है। अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्टगण 3 से 4 खातेदार देबी के विधिक वारीस है तथा रेस्पोन्डेट सं. 5 देबी की पुत्री पार्वती फोत होने से उसके पुत्र देशराज को पक्षकार बनाया गया हैं। मृतक खातेदार का पैरा स. 1 में भूमि का विरासत से नामान्तरण खोलते समय ग्रम पंचायत टीठोडा द्वारा बिना उचित जानकारी किये मृतक खातेदार देबी के वारीसो मे सोराज के स्थान पर सोराम नाम दर्ज कर दिया जबकि सही नाम सोराज हैं तथा मृतक देबी की पत्नि का नाम

घीसी हैं जिस के स्थान फुमा कर दिया गया। राजस्व अधिकारियों ने उपरोक्त नामांतरकरण दर्ज करते समय बिना जानकारी किये गलती से अपीलार्थी का नाम गलत दर्ज कर दिया। अपीलार्थीगण का नाम सोराज पिता देबी तथा घीसी पत्नि देबी दर्ज कराया जाना आवश्यक एव न्यायोचित अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नामातकरण सं. 919 को निरस्त कराया जाकर ग्राम खैरूणा प. ह. टीठोडा में स्थित आ0न0 299 रकबा 02.14 बीघा, आ.न. 229 रकबा 0.18 बीघा, आ.न. 230 रकबा 0.04 बीघा, आ.न. 239 रकबा 6.01 बीघा कुल किता 4 रकबा 09.17 बीघा भूमि में अपीलार्थी का नाम सोराम के बजाय सोराज पिता देबी तथा फूमा के बजाय घीसी पत्नि देबी दर्ज किये जाने की मांग की गई।

अपीलान्टगण की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई। रेस्पोडेन्टगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये जिसे शा0फा0 किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकील अपीलान्टगण की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है की अपीलान्टगण द्वारा अपील नामान्तकरण के विरूद्व पेश किया गया है। जबकि रिलिफ में सोराम के बजाय सोराज पिता देबी तथा फूमा के बजाय घीसी पत्नि देबी की नाम शुद्वी चाही गई है। जो की अन्तर्गत धारा 136 के तहत प्रस्तुत करनी चाहीये थी। अपीलान्टगण नाम शुद्वीकरण हेतु धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है। जिसे न्यायालय अपीलान्टगण की अपील को स्वीकार किया जाना उचित नही समझता है।

अतः अपीलान्टगण की अपील को खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:27:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: